<u>न्यायालय :-माखनलाल झोड, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाटः</u> :: श्रृंखाला न्यायालय बैहर ::

Case No. C.R.A./30/2017

Filling No. -CRA/1245/2017 CNR-MP50050051737-2017 संस्थित दिनांक — 27.01.2016

- 1— बीरनसिंह पिता सहारू धुर्वे उम्र 60 वर्ष
- 2— सुखरूसिंह पिता भगत सिंह मेरावी उम्र 42 वर्ष दोनों निवासी—ग्राम तरेगांव थाना बिरसा जिला बालाघाट

– – अपीलार्थी गण

/ / विरुद्ध /

म0प्र0 राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र—बिरसा जिला बालाघाट — —

<u> अत्तरवादा</u>

{न्यायालय:— श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क. 588 / 2006 शासन विरूद्ध बीरनसिंह+1 निर्णय दिनांक 17.12. 2015 से परिवेदित होकर यह दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत की है}

श्री अब्दुल समार कुरशा आधवक्ता वास्त अपालाथागण। श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी / राज्य।

-/// <u>निर्णय</u> ///-

(आज दिनांक 23 फरवरी 2018 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 588/2006 म0प्र0 राज्य विरूद्ध बीरनसिंह + 1 निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 17.12.2015 को धारा 294 भा.द.वि. में 03 माह के साधारण कारावास एवं धारा 325/34 भा.द. वि. में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/—रूपए के अर्थदण्ड किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

- 2. स्वीकृत तथ्य यह है कि सोमवतीबाई अ.सा.1, बैयनबाई अ.सा.2, श्यामसिंह अ.सा.3, संतोष सिंह अ.सा.4, सगनबाई अ.सा.5 आरोपीगण को जानते है।
- 3. अभियोजन के मामलें का सार यह है कि फरियादिया बैयनबाई ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम तरेगांव रहती है। दिनांक 24.08. 2006 को शाम 05:30 बजे वह अपने घर के सामने थी। उस समय बीरन बोदा चराकर रोड से उसके घर जा रहा था। उसके हाथ में लाठी थी। चार माह पूर्व बिरन सिंह को 100 रूपए उधार दिए थे, वह राशि प्रार्थी ने बीरन से मांगी, बीरन ने मॉ बहन की गंदी—गंदी गाली देकर कहा कि बार—बार पैसे मांगती है, बड़ी पैसे वाली हो गई है। बीरन ने बाएं पैर के घुटने के नीचे लाठी से मार दिया। प्रार्थी की बहू सोमवतीबाई ने बीरन के हाथ से लाठी छुड़ा ली, श्याम सिंह ने बीच—बचाव किया।
- 4. उसी समय सुखरू मरावी आया, गंदी—गंदी गाली देने लगा। बहू सोमवती के हाथ से लाठी छुड़ाकर बीरन सिंह को लाठी दी और कहा कि मारो। बीरन सिंह बोला कि आज जान से खतम कर देते है और प्रार्थी के दाहिने पैर के पिंडली में लाठी मारी जिससे चोट आकर पैर में सूजन है। दाहिने पैर के घुटने के नीचे भी चोंट आयी है। उक्त रिपोर्ट लेख कराए जाने पर आरक्षी केन्द्र बिरसा ने रिपोर्ट लेख कर अपराध कमांक 54/06 की कायमी कर, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियुक्तगण को गिरप्तार किया गया, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया।
- 5. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। साक्षियों की साक्ष्य में अत्यधिक विरोधाभाष है। साक्षिगणों के कथनों पर विश्वास न कर मात्र बैयनबाई और उसकी बहू सोमवती बाई के कथन पर विश्वास कर निर्णय पारित किया है, न्यायालय द्वारा न्याय की दृष्टि तथा विधि—सिद्धांतों के

विपरीत निर्णय पारित कर त्रुटि की है, अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पारित निर्णय निरस्त किए जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

6. दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 588 / 2006 शासन विरूद्ध बीरनसिंह+1 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2015 में क्या साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुदि होने या तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि होने से हस्तक्षप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष:-

- 7. बैयनबाई (अ.सा.2) ने साक्ष्य दी है कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व शाम 6 बजे की साक्षी के घर के सामने की है। साक्षी ने आरोपी बीरन से पैसे मांगी तब आरोपी बीरन ने दाई—माई की गालियां दी सुनने में अच्छी नहीं लगी। आरोपी से एक सौ रूपए मजाक में मांगी थी। आरोपी बीरन ने एक लकड़ी से मारा था तभी सोमतवी ने आकर लकड़ी छुड़ाई। तभी आरोपी सुखलू उधर से आया, गाली दी। सोमवती से लकड़ी छुड़ाकर साक्षी के पैर में मारा जिससे वह गिर गई थी, पैर की हड्डी टूट गई। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि बीरन के पास पतली सी बांस की तुतारी लकड़ी थी। बीरन ने मोटी लकड़ी से मारपीट नहीं की। यह इंकार किया है कि साक्षी ने बीरन सिंह को मारा था। यह इंकार किया है कि साक्षी के गिर जाने से पत्थर से उसे चोंट आयी थी।
- 8. सोमवतीबाई (अ.सा.1) ने साक्ष्य दी है कि आरोपीगण को जानती है। बीरनबाई उसकी सास है। घटना करीब 4 साल पहले शाम 6:00 बजे ग्राम चरेगांव की है। आरोपी बीरन घटना के समय बैयनबाई को लकड़ी से मार रहा था। साक्षी ने बीच—बचाव किया था, लकड़ी छुड़ाई थी तभी आरोपी सुखलू आया और लकड़ी छुड़ाकर बैयनबाई को मारा जिससे उसके पैर में चोट आयी। आरोपीगण ने अश्लील गालियां दी थी जो सुनने में बुरी लग रही थी। ६ । । । । । यह कमांक 4 में स्वीकार किया है कि पुलिस ने साक्षी का बयान लिया था। यह

स्वीकार किया है कि बीरन के पास तुतारी पतले बांस की लकड़ी थी। मोटे बांस की लकड़ी नहीं थी।

- 9. इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 5 में स्वीकार किया है कि जब बीरनसिंह उसके घर के सामने से जा रहा था तब साक्षी की सास ने गाली बककर कहा कि सौ रूपए क्यों नहीं दे रहा है । पद कमांक 6 में इंकार किया है कि आरोपी बीरन ने साक्षी के साथ कोई मारपीट नहीं की।
- 10. श्याम सिंह (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि आरोपीगण को मारते हुए नहीं देखा। सूचक प्रश्न के उत्तर में दिए गए सुझाव को इंकार किया है। संतोष सिंह (अ.सा.4) ने भी मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि 4 साल पूर्व शाम 5 बजे साक्षी बीरन के साथ बोदा, बैल लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में बैयनबाई ने बीरन को रूकने का कहकर उधार पैसे देने के लिए कहा था। उनकी बातचीत होने लगी साक्षी अपने मवेशी लेकर घर चला गया था। बैयनबाई के पैर में फैक्चर हो गया था, किसने मारा जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न के उत्तर में सुझाव को इंकार किया है।
- 11. सगनसिंह (अ.सा.5) ने साक्ष्य दी है कि आरोपीगण को जानता है। फरियादी बैयनबाई साक्षी की मां है। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 4 का अ से अ भाग का कथन पुलिस को देना इंकार किया है। साक्षी आज 11 बजे न्यायालय आया था और मुरचुले वकील साहब के पास बैठा था। यह स्वीकार किया है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जो जैसा समझाता है वैसा बोलता है। उपर दिए गए बयान साक्षी को मरचुले वकील साहब ने बताए थे, उन्हीं के बताएनुसार बयान दिया है। यह स्वीकार किया है कि वह मारपीट के समय हाजिर नहीं था, उसने घटना नहीं देखी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 7 में स्वीकार किया है कि वह मानसिक रूप से पीड़ित है।
- 12. डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.६) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.08.06 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में पदस्थ था। उसी दिन बिरसा के आरक्षक दादूराम क्रमांक 439 ने श्रीमती बैयनबाई निवासी तरेगांव को परीक्षण हेतु लाया

था। आहत के दाहिने घुटने के नीचे सूजन थी जिसका आकार 8 इंच गुणा 13 इंच का था। उक्त चोट कड़े बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। चोट 12 से 24 घंटे के पूर्व की थी। दाहिने पैर की दोनों हिड्डियां टूटने की संभावना को देखते हुए एक्स—रे उपचार और अभिमत हेतु अस्थिरोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल बालाघाट के पास रेफर किया था। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

- 13. डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.७) रेडियोलॉजिस्ट ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 30.08.06 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 31.08.06 को एक्स—रे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत बैनाबाई उम्र 48 वर्ष निवासी तरेगांव थाना बिरसा के दाहिने पैर का एक्सरे किया था जिसके प्लेट कमांक 3742 है। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके दाहिने पैर की टीबिया और फेब्रुला हड्डी के मध्य में अस्थिभंग होना पाया था। एक्स—रे प्लेट आर्टिकल ए—1 है। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में दिए गए सुझाव को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 14. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। बचाव पक्ष की ओर से श्री अब्दुल समीर कुरैशी अधिवक्ता द्वारा आज पेश लिखित तर्क का अध्ययन किया गया। उठाए गए बिंदु विचार में लिए गए। तर्क के अनुसार यह अभिलेख पर स्थिति सही है कि अन्वेषण अधिकारी के कथन नहीं हुए है किंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य संदेहास्पद नहीं है। आहत बैयनबाई अ. सा. 2 के कथन की पुष्टि स्वतंत्र साक्षियों के अतिरिक्त चिकित्सक साक्षी डॉ. एम. मेश्राम अ.सा. 6 तथा डॉ. डी.के. राउत अ.सा. 7 के कथनों से आहत के कथनों की पुष्टि संदेह से परे होती है।
- 15. इस निर्णय के पद क्रमांक 9 में अभिलेख पर आयी तथ्य बाबद् साक्ष्य की बैयनबाई अ.सा.2 के द्वारा अभियुक्त बीरन को गाली दिए जाने से प्रकोपन उत्पन्न होने पर अभियुक्त बीरन ने स्वेच्छया अपने हाथ में रखी बोदा

चराने के लिए उपयोग में लाने वाली तुतारी अर्थात् बांस की पतली लकड़ी से आहत को मारा था। यह तथ्य बाबद् साक्ष्य अपराध को धारा 325 भा.द.वि. के अपराध की श्रेणी में न रखकर धारा 335 भा.द.वि. के अधीन अपराध घटित होना तथ्य और साक्ष्य दर्शाते है। सह—अभियुक्त सुखरू ने सोमवतीबाई के हाथ की लकड़ी छुड़ाकर स्वयं मारा अथवा लकड़ी छुड़ाकर पुनः मारने हेतु बीरन को दी जिसने फिर मारपीट की। इस प्रकार धारा 335/34 भा.द.वि. के अधीन सुकरू का भी दोष अभिलेख पर प्रमाणित है।

- 16. अतः अपीलार्थी <u>बीरनसिंह और सुकरूसिंह को धारा 325/34 भा.</u> द.वि. के अधीन दी गई दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए उक्त दोनों अपीलार्थींगण को धारा 335/34 भा.द.वि. के अपराध हेतु दोषी पाकर 1,000/—, 1,000/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में 03—03 माह का कारावास भुगताया जावे। धारा 294 भा.द.वि. के अधीन की गई दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, किंतु 03 माह के कारावास की सजा को अपास्त करते हुए 500/—, 500/—रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में 01—01 माह का कारावास भुगताया जावे।
- 17. अपीलार्थी सुखरूसिंह एवं बीरनसिंह ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रसीद कमांक 23116/26, 23116/30 दिनांक 17.12.2015 के द्वारा अर्थदण्ड की राशि 500—500 (पॉच—पॉच रूपए) जमा कर दी है। शेष अर्थदण्ड की राशि 1000—1000 (एक—एक हजार रूपए) प्राप्त कर रसीद देकर पावती ली जावे।
- 18. निर्णय की एक प्रति विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेख अभिलेख, अभिलेखगार भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

Sd/-

्**माखनलाल झोड़**}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। Sd/-

{माखनलाल झोड़}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रंखला न्यायालय बैहर